

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 52/2023

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उपनाम

- 1 मुबदाम देवी पत्नि स्व. दुर्गालाल नट उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 2 डूंगर मल पिता स्व.दुर्गालाल नट उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 3 पूजा पुत्री स्व. दुर्गालाल नट उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 4 सुनिता पुत्री स्व. दुर्गालाल नट उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 5 रामेश्वर पिता गुलाब नट उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 6 सुरेश देवी पुत्री रामा नट उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा

----- (प्रार्थी)

बनाम

- 1 कालूराम पिता रामपाल माली उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 2 मुस्ताक पिता मूंशी फकीर मुसलमान उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 3 धर्मीचन्द पिता मदन छीपा उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 4 धन्नालाल पिता जालमा माली उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 5 भैरूलाल पिता रामसुख माली उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 6 रामदेव पिता राजू कीर उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 7 रामकरण पिता राजू कीर उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 8 रामप्रसाद पिता राजू कीर उम वयरक निवासी फूलियाकलां तहसील फूलियाकलां जिला, भीलवाड़ा
- 9 भूमिधारी तहसीलदार फुलियाकलां जिला भीलवाड़ा

----- (अप्रार्थीगण)

उपस्थित-

प्रार्थी अधिवक्ता- श्री सुनील कुमार शर्मा

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 24.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 04.04.2023 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 468 के आ.न. 3183, 3184, 3186 किता 3 रकबा 0.58 हैक्टर, खतौनी संख्या 1185 के आ.न. 3187, 3188 किता 2 रकबा 0.14 हैक्टर, भूमि स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। सहखातेदार श्री दुर्गालाल पिता रामा नट के देहान्त हो जाने से उनके विधिक उत्तराधिकारीगण को प्रार्थी संख्या 01 से 04 के स्थान पर संयोजित किया गया है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 01.05.2023 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम फूलियाकलां पटवार मण्डल फूलियाकलां भू.अ.नि. फूलियाकलां तहसील फुलियाकलां मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 468 के आ.न. 3183, 3184, 3186 किता 3 रकबा 0.58 हैक्टर, खतौनी संख्या 1185 के आ.न. 3187, 3188 किता 2 रकबा 0.14 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक फूलियाकलां को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसीगण को उपरोक्त आराजीयात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर रथगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावे। मुस्तकीन विन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकलां को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 24.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(राजकेश मीना)

उपखण्ड अधिकारी,

फूलियाकलां, जिला भीलवाड़ा